फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय दौसा

सरकार बनाम कैलाश / कजोड़ी

किस्म मुकदमा दावा मु० नं० 54/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2.21	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित जिरह पूर्ण की गई। वास्ते बहस हेतु दि० 26.2.21 को पेश हो। [signature]	
26/2/21	पत्रावली बहस हेतु पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली 5-3-21 को पेश हो। [signature]	
5/3/21	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुयी। उभय पक्ष की बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। वादी कैलाश द्वारा ग्राम नहरना के खाता सं. 22/22 व ग्राम मीनावाड़ा के खाता सं. 73/70 में कजोड़ी बेवा छोट्या के नाम दर्ज भूमि का Adverse Possesion के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वादी कैलाश द्वारा अपने प्राकृतिक पिता रामस्या की भूमि पर पहले खातेदार होने व छोट्या द्वारा कोई गोदनामा नहीं करवाने के आधार पर वाद वादी खारिज करने का कथन किया। दि. 23.11.20 को तनकी बनाकर विरचित की गयी। उभय पक्षों द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किये गये जिनसे जिरह सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा की गयी। तनकीवार वाद का विवेचन निम्न प्रकार है:— तनकी सं. 1 → विवादित भूमि पर वादी अपने 1/2 हिस्सा के साथ मृतक छोट्या के नाम दर्ज रही भूमि पर Adverse Possesion के आधार पर काबिज चला आ रहा है — वादी विवादित भूमि वादी व प्रतिवादिया कजोड़ी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। सहखातेदार के विरुद्ध Adverse Possesion वाद पोषणीय नहीं है। अतः यह तनकी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।	

[signature]
([illegible] सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय [illegible]

— लगातार ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय कैलाश उनवान सरकार बनाम ..... गोपाली	नं० व तारीख अहकाम हुक्म के ... में कार्य ...

मुकदमा नं० 57/15 निर्णय दि० 5.3.21

तनकी सं. 2 → विवादित भूमि जो कि अप्रार्थी सेवा वाल्या के नाम दर्ज है, पर वादी खातेदारी घोषणा का अधिकारी है — वादी

वादी ने Adverse possession व दत्तक पुत्र के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। काश्तकारी अधिनियम में Adverse possession के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

वादी का दूसरा आधार दत्तक पुत्र के आधार पर खातेदारी पाने का है। प्रश्नगत भूमि के खातों में वादी ने अपने प्राकृतिक पिता रमस्या के नाम दर्ज भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया है। वादी द्वारा गोदपत्र बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। वादी प्राकृतिक पिता की भूमि के साथ-2 गोदपत्र के आधार पर एक साथ दावा नहीं कर सकता है। अतः यह तनकी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 → वादी मृतक होल्या की भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है — वादी

तनकी सं. 1 व 2 वादी के विरुद्ध निर्णित की जा चुकी है। अतः वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है।

तनकी सं. 4 → वादी रमस्या का वास्तविक पुत्र है तथा इसी आधार पर 1/3 हिस्से का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाया है तथा उसका मृतक होल्या की भूमि से कोई वास्ता नहीं है व दावा खारिज योग्य है — प्रतिवादीगण

प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित है कि वादी ने अपने पैत्रिक पिता रमस्या की विरासत से 1/3 हिस्सा खातेदार के रूप में दर्ज करवा रखा है।

— लगातार

(हस्ताक्षर)
(रामनिवास)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

कैलाश
सरकार बनाम कल्लोडी

किस्म मुकदमा धारा 188 R.T. Act मु० नं० 57/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा डोल्या की भूमि असली पति कल्लोडी के नाम जरिये विरासत नामान्तरण दर्ज है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकीह 5→ प्रतिवादी कल्लोडी वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है— प्रतिवादीगण खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का विधिक प्रावधान नहीं है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है। आदेश वाद वादी Adverse Possesion के दावा आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर) (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा 21	